पंजीकृत

कार्यालय सहायक आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

ऑफिस काम्पलैक्स डी० ब्लाक, शास्त्री नगर मेरठ।

(प्रदेशन - पत्र)

संख्या /सं० प्र०/भवन/भूखण्ड संख्या .... योजना सं० .... दिनांक ....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

....

महोदय/महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या अपंजीकृत के विरुद्ध आपके सहमति पत्र दिनांक 23/08/06 के आधार पर दिनांक 25/08/06 को लाट्री से मेरठ नगर की माधव पुरम योजना में आपको भवन/भूखण्ड संख्या .... नकद/आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक 30/09/06 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है।

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल ....
मूल्य रु० ....
भवन निर्माण लागत रू० ....
भूखण्ड सहित भवन का मूल्य रु० ....

(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि रु० ....

(घ) आधा नकद/किस्त क्रम पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशियाँ रु० ....

1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रु० ....
2. प्रथम किस्त के साथ एक मुश्त/आधा नकद देय धनराशि रु० ....
3. शेष धनराशि निकटतम रू० 100/- के पूर्णांक में रु० ....
4. अवशेष मूल्य रू० .... पर .... प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गई .... मासिक/छमाही किस्तों में से प्रथम किस्त जो दिनांक .... से देय होगी रू० ....
5. योग रू० ....

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रु० ....
अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि रु० ....
पंजीकरण धनराशि पर दिनांक .... से .... तक एवं अतिरिक्त पंजीकरण धनरिाश पर दिनांक .... से .... तक
6% की दर से ब्याज रू० ....
योग रू० ....

(च) विविध शुल्क

1. फ्रीहोल्ड शुल्क भूमि का 12 प्रतिशत की दर से रु० ....
2. विलेख निष्पादन व्यय रु० ....
3. जल संयोजन व्यय रु० ....
4. अग्रिम जल शुल्क 3 माह का रु० ....
5. पंजीकरण अन्तर धनराशि का रु० ....
   विलम्ब शुल्क रु० ....
6. विविध शुल्कों का योग रु० ....

नोट : 1. किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

2. न्यायालय के आदेश से अथवा किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तद्नुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) अथवा (घ) में अंकित धनराशि पी० एन० बी० ई० के० रोड़, मेरठ एवं कालम (च) में अंकित धनराशि पी० एन० बी० ई० के० रोड मेरठ में परिषद् के खाते में दिनांक 30/09/06 तक अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करना है तो पंजीकरण के निर्धारित धनराशि रुपये .... %/20% धनराशि जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते है तो उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। तीन माह के बाद निरस्तीकरण की दशा के पंजीकरण राशि का 50% जब्त करते हुए प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

नोट : नकद पर देय प्रदिष्ट भवनों का उपरोक्त अंकित तिथि के उपरान्त भुगतान की दशा में दिनांक 30/09/06 से दण्ड ब्याज देय होगा।

नगद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (30 दिन), के अन्दर, भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आबंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद् से मानचित्र स्वीकार कराकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि से क्रमशः .... वर्ष तथा .... वर्ष है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु गत पृष्ठ पर अंकित समस्त धनाशियां एवं इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र दिनांक .... तक कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रुपये .... प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा लेने पर रु० .... प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद् उत्तरदायी नही होगा।

नोट : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्-भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनिमय-1979, (यथासंशोधित जून, 1986–मूल्य रू० 10/-) विक्रय समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, 194 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध हैं।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी,
सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा 30/09/06 दिनांक तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप से दाखिल करें।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
3. रुपये 100/- का एक मीटर बाण्ड हेतु तथा रुपये 100/- का एक सादा नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर किराया क्रय अनुबन्ध भी प्रस्तुत करें।
4. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षारित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम अंकित हो, दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रू० 10/- के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. यदि भवन/भूखण्ड नकद पर प्रदिष्ट है तो लीज/सेलडीड हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय से साईट एवं बिल्डिंग प्लान की चार-चार प्रतियां प्राप्त कर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत करें।
7. प्रथम देय किस्त के साथ एक मुश्त जमा धनराशि का बैंक प्रमण पत्र व रसीद मूल रूप में प्रस्तुत करें।
8. निबन्धन हेतु रु० .... का स्टैम्प पेपर एवं 50 + 50 का स्टैम्प पेपर।
9. 5 फोटो।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम) .... पुत्र//पुत्री .... उम्र ...... निवासी .... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासी भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी/मेरी पत्नी एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष .... को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे/पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल रुपये .... से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) .... घोषण करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 स 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान ....

दिनांक .... शपथी

प्रमाणित

मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी